दिनांक 08.08.2019 को प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में हार्डिंग रोड अवस्थित आवास संख्या-42 में पटना उच्च न्यायालय के वरीय न्यायिक पदाधिकारियों के आवास निर्माण स्थल पर पेड़ कटाई कार्य के समयवृद्धि के प्रस्ताव पर विचारार्थ विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही:-

<u>उपस्थिति:-</u>

1.	**श्री चंचल कुमार,** प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना	-	अध्यक्ष
2.	**श्री योगेन्द्र सिंह,** अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त- सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	-	सदस्य
3.	**श्री सतीश कुमार सिंह,** अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना	-	सदस्य
4.	**श्री सुभाष कुमार,** मुख्य अभियंता (पटना), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना	-	सदस्य

1.	कार्य का नाम:-	-	हार्डिंग रोड अवस्थित आवास संख्या-42 में पटना उच्च न्यायालय के वरीय न्यायिक पदाधिकारियों के आवास निर्माण स्थल पर पेड़ कटाई कार्य
2.	प्रस्ताव	-	विषयांकित कार्य की समयवृद्धि
3.	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	-	₹775.00 लाख (विधि विभाग का पत्रांक 505 दिनांक 01.08.2017)
4.	तकनीकी स्वीकृति की राशि	-	₹5,79,75,335.00
5.	विषयांकित कार्य के एकरारित राशि एवं एकरारनामा संख्या	-	₹2,16,015.00 ; 03F2/2018-19

6. <u>तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही:-</u>

हार्डिंग रोड अवस्थित आवास संख्या-42 में पटना उच्च न्यायालय के वरीय न्यायिक पदाधिकारियों के आवास निर्माण स्थल पर पेड़ कटाई कार्य का एकरारनामा संख्या- 03F2/2018-19 संवेदक Mini Kumari से किया गया था। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 30.05.2018 तथा कार्य पूर्ण करने की तिथि 09.06.2018 है। अधीक्षण अभियंता, संरचना भवन अंचल, पटना के पत्रांक 455 अनु0 दिनांक 19.07.2019 के द्वारा अनुशंसा के साथ समर्पित किये गये समयवृद्धि के आवेदन में दिनांक 07.07.2018 तक के लिए समयवृद्धि का अनुरोध किया गया है। उक्त अनुशंसित आवेदन में समयवृद्धि का मूल कारण हेतु वन विभाग द्वारा वन पदार्थ परिवहन अनुज्ञा-पत्र दिनांक 06.07.2018 को दिया जाना है।

सम्यक विचारोपरात तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य का समयवृद्धि दिनांक 07.07.2018 तक स्वीकृत करने की अनुशंसा इस शर्त्त के साथ की जाती है कि दिनांक 07.07.2018 तक के Extended Period के लिए संवेदक को, किसी भी प्रकार के वित्तीय क्षतिपूर्ती का दावा मान्य नहीं होगा। सहमति प्राप्त करने हेतु विभागीय निविदा समिति में रखने का निर्णय लिया गया।

7. <u>विभागीय निविदा समिति का निर्णय:-</u>

सम्यक् विचारोपरान्त विभागीय निविदा समिति द्वारा तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के अनुशंसा के आलोक में विषयांकित कार्य का समयवृद्धि दिनांक 07.07.2018 तक की स्वीकृति इस शर्त्त के साथ दी जाती है कि दिनांक 07.07.2018 तक के Extended Period के लिए संवेदक को, किसी भी प्रकार के वित्तीय क्षतिपूर्ती का दावा मान्य नहीं होगा।

इस कार्यवाही को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड की जाय।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

8/8/19	8.08.19	8/8/19	8/8/19
(सुभाष कुमार) मुख्य अभियंता(पटना) भ0नि0वि0, बिहार, पटना	(सतीश कुमार सिंह) अपर सचिव-सह-आंतरिक वित्तीय सलाहकार, भ0नि0वि0, बिहार, पटना	(योगेन्द्र सिंह) अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भ0नि0वि0, पटना	(चंचल कुमार) प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक-भवन/मु0अभि0(प0)यो0विविध-8-85/19 -1325(P) पटना, दिनांक-08/08/19

प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

8/8/19

(सुभाष कुमार)
मुख्य अभियंता(पटना)